न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –186/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2023/212

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
पेमाराम पुत्र श्री गिरधारीराम जाति जाट निवासी कालियास तहसील मूण्डवा जिला नागौर, राजस्थान		राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, मूण्डवा, राज0

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री कैलाश गालवा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

निर्णय **दिनांक :– 21.01.2025**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार,मूण्डवा द्वारा प्रकरण संख्या 60/2021 सरकार बनाम पेमाराम में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.10.2023 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलान्ट की अपील तावेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना–पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि आपसी मिलावटी, षडयंत्र पूर्वक विधि विरूद्ध व हक अधिकारो, न्यायिक आदेशो को ताक पर रखकर किये आदेश जेर अपील अपीलांट को बिना सुने, अपीलांट की बिना सम्यक व पर्याप्त तामिल करवाये ही अनाधिकृत रूप से, बिना अपीलांट की जानकारी, उपस्थिति व ज्ञान के पारित किया गया है। अपीलांट जोधपुर निवासरत है तथा पूर्व में भारतीय वायु सेना में देश की सेवा हेतु सेवारत रहा था, गांव में कभी कभार ही आना जाना अपीलांट का रहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जेर अपील की अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी तब हुई, जब हाल ही में पटवारी हल्का मौके पर आया और गांव वासियो से निर्णय जेर अपील की चर्चा की, तब अपीलांट अपने जोधपुर निवास से गांव आया और पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा निर्णय जेर अपील की जानकारी अपीलांट को दी गई व कहा कि आपकी बेदखली के आदेश हो रखे हैं, जिससे अब अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो जानकारी से अंदर मियाद हैं, हालांकि वर्तमान में पिछले कुछ समय से कोविड–19 वैश्विक महामारी का दौर होने व समय समय पर तालाबंदी व न्यायिक कार्य स्थगन जैसी परिस्थितियां रही हैं तथा इनके रहते माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील के प्रयोजन से समयावधि को विस्तारित किया गया हैं। हालांकि अपीलांट को तो आदेश जेर अपील की जानकारी ही हाल ही में हुई हैं, ऐसी दशा में उपरोक्त अपील हाजा हर कसौटी पर जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही हैं, फिर भी किसी भी प्रकार से अपील हाजा पेश करने में विलम्ब माना जाता है तो ऐसा विलम्ब कंडोन कर तकनीकी बिन्दू को दर किनार कर अपील अपीलांट जानकारी से अंदर मियाद शुमार कर मेरिट पर गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

कलक्टर नागौर

राजपेरोकार श्री ओमप्रकाश पुनियॉ का दौराने बहस कथन हैं कि अपीलांट दिनांक 01.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित था। इसलिए अपीलांट को प्रकरण की एवं प्रकरण के निर्णय की पूर्ण जानकारी रहते हुवे भी समय पर इस निर्णय की अपील पेश नहीं की हैं तथा न ही यह अपील विलम्ब से पेश करने का कोई पर्याप्त कारण दर्शाया गया हैं। प्रार्थना–पत्र में यह नहीं दर्शाया गया हैं कि किस दिनांक को इस निर्णय की जानकारी हुई हैं। केवल मात्र अभी हाल लिखा हैं। अपीलांट को विलम्ब के प्रेत्यक दिवस का विवरण पेश करना चाहिऐ। इस प्रकार अपील अपीलांट मयाद में नहीं होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर न्यायहित में अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार मानी जाती हैं।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को पटवारी हल्का माणकपुर ने तहसीलदार मूण्डवा के समक्ष अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर दिनांक 09.11.20211 को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलांट को दिनांक 01.12.2021 को मातहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए तामिल जारी की गई । दिनांक 01.12.2021 को अपीलांट का पुत्र सुरेश मातहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं मातहत न्यायालय से प्रकरण में जबाब व साक्ष्य सबूत पेश करने के लिए समय चाहे जाने पर अदालत द्वारा प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार कर लिया गया व प्रार्थी के पुत्र के हस्ताक्षर खाली आदेशिका पर करवा लिये व अपीलांट को जवाब का समय प्रदान कर दिया गया, ऐसा बताया गया तथा अपीलांट के पुत्र गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से नाहक ही तथा बिना वह सक्षम पक्षकार हुए ही उससे कार्यवाही हाजा में जवाब तलबी कर हस्ताक्षर करवाकर बेदखली के आदेश बिना अपीलांट को साक्ष्य, सबूत व जवाबदेही का अवसर दिये ही, बिना अपीलांट का पक्ष सुने तथा अपीलांट की पर्याप्त व सम्यक तामिल करवाये बिना ही गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से पारित कर दिया, मातहत न्यायालय का निर्णय विधिविरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत व दस्तावेजो व मौके की स्थिति के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

अपीलांट को मातहत न्यायालय ने सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही नही दिया एवं मात्र 30 दिनों में ही अपीलांट का प्रकरण निस्तारित कर मातहत न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। मातहत न्यायालय के निर्णय के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि मातहत न्यायालय ने अल्प समय में ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं बिना जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय जेर अपील पारित किया हैं, इस कारण निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने है।

मातहत न्यायालय के समक्ष जब अपीलांट का पुत्र उपस्थित हुआ था, तब अपीलांट के पुत्र को यह कह कर आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये थे कि आपकी उपस्थिति दूसरे प्रकरण में दर्ज करनी है व आपके पिता के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप कर देंगे। मगर अपीलांट व उसके पुत्र सुरेश को मुगालते में रखकर अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 08.12.2021 को ही बेदखली व खाली जगह रखकर जुर्माना के आदेश पारित कर मातहत न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जेर अपील साइक्लोस्टाईल है, जिसमे कई मदे रिक्त हैं, जैसे कि जुर्माना जैसा महत्वपूर्ण बिन्दू खाली छोड़ रखा है तथा महज खानापूर्ति के उद्देश्य से बिना अपीलांट को सुने, बिना अपीलांट की पर्याप्त व सम्यक तामिल करवाये ही आदेश जेर अपील पारित किया हैं, जो इस आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि न्यायालय में पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा दिनांक 22.07.2021 बनाते समय पटवारी रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर उक्त बाबत एक नक्शा भी बनाया गया था, उस नक्शे में कही भी खसरा नम्बर 143 रकबा 4.4920 हैक्टेयर गैर मुमकिन गोचर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

का उल्लेख नही हैं कि रकबा 0.3237 हैक्टेयर किस दिशा में, कैसे नाप पर अतिक्रमण किया हैं, इस बाबत मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का अंकन नही किया गया हैं, इससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नही हैं, मातहत न्यायालय ने इस विधिक बिन्दू को नजरअंदाज कर विधिक त्रुटि कारित की हैं, जिससे निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि सम्पूर्ण मौका रिपोर्ट तहसील कार्यालय में बैठकर बनाई हुई प्रतीत होती हैं, क्योकि पटवारी हल्का द्वारा न तो मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया, न ही मौके पर जाकर विधि सम्मत मुन्तकिल पाइंट निर्धारित कर नाप चौप किया गया, खसरा नम्बर 143 का कुछ भाग खसरा नम्बर 143/497 गैर मुमकिन आबादी में सम्मिलित हो चुका हैं, जिसमे ही यानि आबादी क्षेत्र में ही अपीलांट का बाड़ा पुश्तैनी समय से बना हुआ रहता चला आया हैं, जिसे अपीलांट व उसके पूर्वज उपयोग उपभोग में लेते आये हैं, कोई नया निर्माण अथवा अतिचार अतिक्रमण कब्जा आदि नही किया गया हैं, हमारे द्वारा मौके के छाया चित्र पेश किये गये हैं,जिससे यह सावित हैं कि हमारा कब्जा पुराना हैं,पटवारी हल्का द्वारा संवत 2077 में अतिचार करने की गलत व मिथ्या रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की व उसके आधार पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट मात्र को कागजी रूप से आधार बनाकर निर्णय जेर अपील अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से पारित कर दिया हैं, जो इस आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मातहत न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकारो का गलत रूप से अवलम्बन लेकर निर्णय जेर अपील पारित किया हैं, जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

प्रश्नगत जायगा के पूर्वी तरफ आबादी भूमि ओमाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी कालियास के नाम से पटटासुद आबादी भूमि हैं, ओमाराम पुत्र तुलछाराम जाट अपीलांट का भतीजा है। अपीलांट का कब्जा भी पुश्तैनी समय से वादग्रस्त जायगा पर है तथा भाई बंट के बाद वादग्रस्त जायगा अपीलांट के बंट में आई हैं, ओमाराम पुत्र तुलछाराम जाट निवासी कालियास के नाम से मिसल संख्या 14/2001 के द्वारा ग्राम पंचायत माणकपुर से पट्टा संख्या 13 जारी हो रखा है। जिसकी फोटो प्रति साथ पेश की है। हाल ही में राजनैतिक द्वेषतावश पटवारी हल्का ने सिखावे में आकर व लोगो व राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्तियो के इशारे पर अपीलांट व उसके भतीजे ओमाराम को बेदखल करने के लिए यह कार्यवाही हाजा अमल में लाई है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

ओमाराम पुत्र तुलछाराम जाट निवासी कालियास के नाम से मिसल संख्या 14/2001 के द्वारा ग्राम पंचायत माणकपुर से पटटा संख्या 13 जारी हो रखा है। जिसकी फोटो प्रति साथ पेश की है, जो जायगा अपीलांट के पूर्वी तरफ है तथा अपीलांट की जायगा भी उसी समय से कब्जे उपयोग उपभोग में रही हैं तथा पुश्तैनी जायगा रही हैं, पटटा के पड़ोस में अपीलांट के कब्जे का बखूबी उल्लेख हैं, इसके अतिरिक्त यहां यह बताना समीचीन होगा कि अपीलांट राजकीय सेवा में वायु सेना में सेवारत था तथा सेवानिवृत होने के बाद वे जोधपुर ही अपने परिवार सहित निवास करने लगे तथा इसी कारण स्थानीय ग्राम पंचायत से पटटा बनवाने की कार्यवाही करने से वंचित रह गये, महज पटटा नही बनवा पाने से कब्जा अनाधिकृत नहीं हो सकता। खसरा नम्बर 143 गैर मुमकिन गोचर व खसरा नम्बर 143/497 रकबा 0.4856 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी है तथा खसरा नम्बर 143 कालान्तर में आबादी भूमि खसरा नम्बर 143/497 का ही भू भाग बनकर रहता चला आया है। अपीलांट का बाड़ा आबादी भूमि के रूप में आबादी क्षेत्र ग्राम कालियास में आया हुआ हैं, जिसका पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत माणकपुर को हैं, जिसमे हस्तक्षेप करने अथवा किसी तरह की कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार मूण्डवा अथवा पटवारी हल्का माणकपुर में निहित ही नही है। फिर भी गलत व मिथ्या तथ्यो पर आधारित बिना नाप किये व बिना मौके पर आये ही यह कार्यवाही हाजा अमल में लाई गई हैं तथा निर्णय जेर अपील पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है।

कलक्टर नागौर

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मूण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रकरण संख्या 60/2021 बअनवान सरकार बनाम पेमाराम में आदेश दिनांक 08.12.2021 पारित किया गया, को खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावें तथा प्रकरण तहसीलदार,मूण्डवां को अपीलांट के साक्ष्य सबूत लेकर मौका जॉच कर कर निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जावें।

राजपेरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां का बहस में कथन हैं कि अपीलांट द्वारा ग्राम कालियास के खसरा नम्बर 143 गै0मु0 गोचर भूमि पर अतिचार कर निर्माण किया गयाउ हैं। गै0मु0 गोचर की भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांट द्वारा अपील के साथ जो पट्टा ग्राम पंचायत का पेश किया हैं। यह पट्टा ओमाराम के नाम का जारी हो रखा हैं। इस पट्टा से इस प्रकरण में अपीलांट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया हैं तथा अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपना अतिक्रमण होना स्वीकार कर अतिक्रमण हटाने हेतु न्यायालय से समय चाहा हैं,जिससे यह साबित हैं कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट अतिचार हैं। अपीलांट अतिचारी होते हुवे उसके विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधिपूर्वक हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। पटवारी(भू0अ0)पटवारी मण्डल,माणपुर ने एवं भू0अभिलेख निरीक्षक संखवास ने संयुक्त रूप से रिपोर्ट इस आशय की तैयार कर तहसीलदार को पेश की हैं कि श्री पेमाराम पुत्र श्री गिरधारी राम जाति जाट निवासी ग्राम कालिया तहसील मूण्डवा ने अतिक्रमण ग्राम कालियास के खसरा नम्बर 143 रकबा 0.3237 है0 किस्म जमीन गै0मु0 गोचर पर सम्वत् 2077 से अनाधिकृत कब्जा द्वारा बाड़ा पक्की दिवार कर रखा हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.11.2021 को गैर सायल के विरूद्व दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। गैर सायल तारीख पेशी दिनांक 01.12.2021 को न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा स्वयं द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने का अभिकथन कर आदेशिका में हस्ताक्षर किये गये हैं तथा इस स्वीकारोक्ति के संबंध में पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट भी प्राप्त किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका में दिये हैं। पटवारी हल्का से प्राप्त जॉच के अनुसार गैर सायल द्वारा आजदिनांक तक मौके से अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 08.12.2021 को निर्णय पारित कर गैर सायल को अतिचारी मानते हुवे उन्हें बेदखल करने के आदेश पारित किये गये हैं।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया प्रगट हैं कि इस प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया हैं। विद्वान वकील अपीलांट का बहस में यह कथन रहा हैं कि अपीलांट को इस प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं जो मानने योग्य नहीं हैं। विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि प्रश्नगत आराजी आबादी भूमि के चिपती आयी हुई होने से यह भूमि आबादी की भूमि हैं जिसके सम्बन्ध में सुनवाई का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं हैं। अपने कथनों के समर्थन में ग्राम पंचायत द्वारा जारी आबादी भूमि पट्टा दिनांक 05.02.02 की फोटो प्रति पेश की गई हैं। उक्त ग्राम पंचायत के विक्रय विलेख के अवलोकन से इस विक्रय विलेख के जारी नम्बर अंकित नहीं हैं तथा यह पट्टा ओमाराम पुत्र तुलछाराम जाट के नाम का हैं,जिससे अपीलांट को इस विक्रय विलेख की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांट कहीं तो यह कथन करता हैं कि पट्टा सुदा भूमि उसके बंट की हैं तथा कहीं यह अभिकथन करता हैं कि उनके कब्जा के आधार पर ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त नहीं कर सका हैं। इस प्रकार अपीलांट के कथन आपस में विरोधाभाषी हैं तथा अपीलांट द्वारा अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही से बचने के लिए इस प्रकार के भिन्न–भिन्न

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

अभिकथन किये जा रहे हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट साबित हैं कि ग्राम कालियास के खसरा नम्बर 143 भूमि की किस्म गै0मु0 गोचर हैं तथा इस गोचर भूमि पर अपीलांट द्वारा बाड़ा व निर्माण कर अतिक्रमण किया गया हैं। प्रश्नगत भूमि अपीलांट की स्वामित्व की भूमि होने के कोई साक्ष्य सबूत अपीलांट द्वारा पेश नहीं किये गये हैं। गै0मु0 गोचर भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्जित भूमि के श्रेणी में दर्ज हैं तथा इस प्रकार की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध की गई यह कार्यवाही विधि अनुरूप होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार,मूण्डवां द्वारा पारित निर्णय जैर अपील की पुष्टि की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रति सहित पुनः लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर
कलक्टर नागौर
नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)